न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 66/2021

1 मातादीन उम्र 71 वर्ष पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सरस्वती आदर्श शिक्षा समिति पाटन, जरिये सचिव भवानी शंकर पुत्र बुद्धराम आयु 31 वर्ष जाति माली निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

2 उप पंजीयन अधिकारी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. का. अधिनियम
1995 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना दिनांक 17.08.2021 दावा सं. 22/2020
अनुवानी सरस्वती आदर्श शिक्षा समिति बनाम मातादीन आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—23.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना द्वारा दावा सं. 22/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना के समक्ष वाद बाबत बंटवारा, तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ ग्राम पाटन तहसील नीमथाना जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1022/4 खसरा नम्बर 1036/4 खसरा नम्बर 1044/1 खसरा नम्बर 1045/3 खसरा नम्बर 1081/1, 1083/1, 1084/1, 1091/14, 1091/15, 1091/9, 1093/8, 1099/1, 1099/4, 1101/10, 1101/13, 1101/4, 1103/1 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायायल में पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु नियत थी। विचारण न्यायालय द्वारा इसी बिन्दु पर दिनांक 05.08.2021 को उभयपक्ष को सुना गया परन्तु विचाराधीन निर्णय से तनकी कायम की जाने पर निर्णय नहीं कर सीधे प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकी हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना प्रकरण में सीधे ही दिनांक 17.08.2021 को विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन की बाई मिटस एण्ड बाउन्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट को कोई आपत्ति है तो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकी हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना प्रकरण में सीधे ही दिनांक 17.08.2021 को विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अपनाकर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर